अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

45/ 2024/226 जयराम v/s हेमराज

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2024/45 श्री M.S. चौधरी श्री पंचोली/चौधरी-01	
18.11.24	जयराम बनाम हेमराज वगैरह (2024/45) पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बावत निवेदन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने गैर कानूनी रूप से प्रार्थी को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एक पक्षीय रूप से अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का आदेश पारित कर दिया है जिसकी आड मे अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी को हैरान व परेशान करने पर आमादा है यदि अप्रार्थी संख्या 01 अपने उक्त अवैध कृत्य में सफल हो गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है। अतः प्रार्थीगण का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.02.2024 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित किया जाकर उभयपक्षकारान को पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं भूमि को रहन, बय, मुंतकिल नहीं करें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस स्थगन प्रार्थना पत्र बाबत निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हमारी स्वयं की आराजीयात खसरा नम्बर 29 रकबा 1.18 हैक्टेयर पर अंतरिम स्थगन आदेश दिया गया है। उक्त स्थगन बाबत अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई जवाब पेश नहीं किया गया है एवं सीधे ही अपील प्रस्तुत की गई। अतः प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जावें। हमने अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज कर बहस सुनते हुए एकपक्षीय अंतरिम स्थगन आगामी पेशी तक जारी किया गया एवं अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का कोई जवाब पेश नहीं किया गया है तथा सीधे ही अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है जिसका अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है। **अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्षकारन को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर

अपील टी०ए० संख्या......45/2024 जिला केकड़ी

192
श्री महेन्द्र सिंह चौहान
एड. ने अपील पेश की
अपील बाद जाँच
रिपोर्ट होकर
पेश हो।

(2024/45/225RTA)

जयराज पुत्र रामकिशन शर्मा जाति ब्राहमण निवासी खेजडों का बास, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक हाल निवासी ग्राम लसाडिया तहसील व जिला केकडी।

—— अपीलांट

बनाम्

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
20/2/24

1. श्री हेमराज पुत्र श्री रामकिशन दत्तक पुत्र अयोध्या जाति ब्राहम्ण निवासी लसाडिया तहसील व जिला केकडी।
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय केकडी जिला केकडी।

—— असल रेस्पोडेन्ट्स

3. मिठ्ठनलाल पुत्र श्री श्योजो माली
4. चेतन पुत्र श्री मिठठनलाल माली
5. ओमप्रकाश पुत्र श्री श्योजी माली

निवासीगण लसाडिया हाल निवासी अजमेर जिला अजमेर।

—— प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स

अपील क्षीशति छाज्त की
20/2/24

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, केकडी दिनांक 19.2.2024 जो प्रकरण संख्या 7/2024 बउनवानी हेमराज बनाम् मिठठनलाल वगैरह में पारित किया गया।

मान्यवर,

अपीलांट की ओर से निम्न निवेदन है:–

(अ) यह कि अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलांट

Scanned with CamScanner